

को निर्णय की प्रति ~~विभाजन~~ भिजवाकर विभाजन स्कीम चाही जावे। पत्रावली दि० 1-2-19 को पेश की।

3

1-2-19

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/पार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष
उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीएससी
अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य
कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15-2-19
को पेश हो।

रीडर

15-2-19

पत्रावली पेश हुई/अभिभावक संघ ने न्यायिक
कार्य का बहिष्कार किया है। श्रीमान् पीएससी
अधिकारी महोदय वीरे पर हैं/अवकाश पर
हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली
मतादेशानुसार दि० 8-3-19 को पेश हो।

रीडर

8-3-19

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/पार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष
उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीएससी
अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य
कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29-3-19
को पेश हो। विभाजन स्कीम संलग्न है।

रीडर

29-3-19

वकील उभयपक्ष उपर विभाजन स्कीम पर वकील
उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष के वकील
विभाजन स्कीम अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि
का विभाजन करने पर सहमत हैं। अतः नाण्टह
तलावडा से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार
पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन करने का
आदेश दिया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से
जिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया।
पत्रावली क्रमशः क्रमांक दोकर नम्बर से क्रम हो
एवं बंध तकमिल काखिल दफतर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

